राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (नरेगा) कार्यान्वयन ट्रैकर, पी.ए.ई.जी. द्वारा

नरेगा की मांग को लेकर 2005 में 'रोज़गार गारंटी के लिए जन संघर्ष' (पी.ए.ई.जी.) गठित हुआ। यह एक समूह हैं जिसमें विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ता, शैक्षणिक और अनेक जन संगठनों के सदस्य जुड़े थे। पी.ए.ई.जी. शोध और अधिवक्तृता के माध्यम से नरेगा के कार्यान्वयन को मज़बूत करने के लिए चर्चाओं, लोगों द्वारा निगरानी और संगठनों को साथ लाने में एक सहायक की भूमिका निभाना चाहता है। पी.ए.ई.जी. ने अपने काम को आगे बढ़ाते हुए शहरी रोज़गार का मुद्दा भी उठाया हैं। इसके लिए विभिन्न अभियानों, संस्थानों और संगठनों के साथ मिलकर शहरी रोज़गार गारंटी पर संवाद की एक श्रृंखला शुरू की हैं।

नरेगा ट्रैकर क्या है और इसका महत्व क्या है?

नरेगा ग्रामीण क्षेत्रों के लाखों ग़रीबों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अधिनियम के अंतर्गत हर ग्रामीण परिवार को 100 दिन का रोज़गार न्यूनतम मज़दूरी दर पर मिलने की गारंटी है। नरेगा के 2 महत्वपूर्ण प्रावधान है। पहला, रोज़गार की मांग के बाद 15 दिनों के अंदर काम उपलब्ध होना चाहिए। अगर ऐसा न हुआ तो मज़दूर को बेरोज़गारी का भत्ता मिलना चाहिए। दूसरा, काम समाप्त होने के बाद 15 दिन के अंदर मज़दूरी का वेतन मिलना चाहिए। और अगर ऐसे नहीं हुआ तो देरी का मुआवज़ा मिलना चाहिए। नरेगा की ज़रुरत हमेशा से थी, मगर लॉकडाउन के कारण बेरोज़गारी बहुत बढ़ी है जो मनरेगा द्वारा कम हो पायेगी। इसलिए नरेगा का महत्व वर्तमान में बहुत बढ़ा है। यह साप्ताहिक ट्रैकर नरेगा कार्य को बारीकी से जाँचेंगा, और कई पहलुओं को सुलभ तरीके से प्रस्तुत करेगा। कुछ पहलू हर सप्ताह बदलेंगें, कुछ हर महीने और कुछ 3-4 महीनों में।

इस ट्रैकर की कुछ मुख्य बातें

- इस ट्रैकर में इस्तमाल किया सारा डाटा 3 अगस्त 2020 तक का है (केवल अपूर्ण लेन-देन के डाटा का अभिगमन 10 अगस्त 2020 को किया गया)।
- 2020-21 के संशोधित नरेगा बजट का **48%** पहले 4 महीनों में ही खर्च किया जा चुका है।
- जुलाई महीने के भुगतान का **43%** केंद्रीय सरकार की ओर से रुका हुआ है।
- राज्यों के पास बची हुई नरेगा पूंजी अब **12%** से भी कम है।
- अप्रैल 2020 से अब तक **38 लाख से** भी ज़्यादा जॉब कार्ड बने हैं।
- **4.17 लाख** परिवारों ने अपने 100 दिनों का निर्धारित काम पूरा कर लिया है।
- 2020-21 के अनुमानित श्रम बजट की तुलना में इस तिमाही **11%** ज़्यादा मजदूर दिवस का रोज़गार उत्पन्न हुआ है।
- **लगभग 17%** नरेगा की मांग पूरी नहीं हुई है।
- सभी ज़िलों को मिलाकर, गरीब कल्याण रोज़गार अभियान के अंतर्गत **12% से ज़्यादा** लोगों की रोज़गार की मांग अपूर्ण रही है।

2020-21 के संशोधित नरेगा बजट का **48%** पहले 4 महीनों में ही खर्च किया जा चुका है

तालिका 1 दिखती है कि अलग-अलग राज्यों के पास कितनी पूंजी बची है। शेष राशि को आवंटित पूंजी में से पूरे खर्च (जिसमें बकाया भुगतान भी शामिल है) को घटाकर निकला गया है।

हालाँकि, 2 जुलाई 2020 से 3 अगस्त 2020 के बीच राज्यों को दी गई पूंजी का आवंटन **Rs. 12,000** करोड़ से बढ़ाया गया, लेकिन राज्यों के पास बची पूंजी की राशि इस दौरान **16.35% से 11.92%** तक गिरी है।

ओडिशा की शेष राशि नकारात्मक दिशा में **3%** है।

उत्तर प्रदेश ओर आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों के पास आवंटित पूंजी का 5 प्रतिशत से भी कम शेष बचा है। यह उस समय हो रहा है जब रोज़गार की मांग उत्तर प्रदेश में **27%** और आंध्र प्रदेश में **14%** से अधूरी है।

मध्य प्रदेश, तमिल नाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के पास पूंजी का शेष **10%** से कम बचा है।

तालिका 1 - पूँजी की उपलब्धता की स्थिति

चुनिंदा राज्य	राज्यों को कुल आवंटित पूँजी (आंकड़े करोड़ में)	भुगतान राशि को मिलाकर कुल खर्च (आंकड़े करोड़ में)	शेष राशि (आंकड़े करोड़ में)	आवंटित पूँजी में से बची पूँजी (प्रतिशत में)
ओडिशा	1,955.76	2,024.80	-69.04	-3.53
उत्तर प्रदेश	5,664.84	5,586.06	78.79	1.39
आंध्र प्रदेश	6,677.25	6,491.18	186.08	2.79
मध्य प्रदेश	3,733.46	3,523.42	210.04	5.63
तमिल नाडु	3,148.07	2,909.01	239.07	7.59
राजस्थान	5,156.18	4,697.30	458.87	8.90
छत्तीसगढ़	2,498.66	2,271.54	227.12	9.09
तेलंगाना	2,255.61	2,041.83	213.78	9.48
बिहार	3,730.97	3,276.28	454.69	12.19
पश्चिम बंगाल	6,160.12	5,013.01	1,147.11	18.62
सारे राज्य	**55,071.38**	**48,506.42**	**6,564.96**	**11.92**
स्त्रोत : नरेगा एम्.आई.इस रिपोर्ट R.7.1 (अभिगमन 03/08/2020)				

जुलाई महीने के भुगतान का **43%** केंद्रीय सरकार की ओर से रुका हुआ है

तालिका 2 दर्शाता है कि जुलाई में कुल लेन-देन का **42.77%** और कुल भुगतान का **39.79%** अभी तक अपूर्ण है।

जुलाई तक **3 करोड़** से ज़्यादा लेन-देन पर प्रतिक्रिया नहीं हुई है।

जुलाई तक पूरे लेन-देन का **16.47%** और पूरे भुगतान का **15.56%** अपूर्ण है।

तालिका 2 - स्टेज 2 लंबित लेनदेन और भुगतान

महीना	प्रतिक्रिया के लिए लंबित लेनदेन की संख्या (आंकड़े लाखों में)	कुल लेनदेन में से प्रतिक्रिया के लिए लंबित लेनदेन के संख्या (प्रतिशत में)	लंबित राशि (आंकड़े करोड़ में)	कुल राशि में से लंबित राशि (प्रतिशत में)
अप्रैल	0.27	0.26	2.38	0.19
मई	28.10	5.16	285.16	4.14
जून	51.01	6.85	504.02	4.73
जुलाई	244.33	42.77	3,505.81	39.79
जुलाई तक	**323.70**	**16.47**	**4,297.37**	**15.56**
स्त्रोत : नरेगा एम्.आई.इस रिपोर्ट R14.6 (अभिगमन 10/08/2020)				

अप्रैल 2020 से अब तक **38 लाख** से भी ज़्यादा जॉब कार्ड बने हैं

प्रवासी मज़दूर के लौटने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अकर्मण्यता की वजह से नरेगा में रोज़गार की मांग में अधिकतम बढ़त हुई है और कई नए परिवार रोज़गार कार्ड और काम के लिए पंजीकरण करवा रहे हैं।

मात्र उत्तर प्रदेश में **14.68** लाख जॉब कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में **8.64** प्रतिशत ज़्यादा है।

तेलंगाना में जारी किए गए नए जॉब कार्ड में पिछले वर्ष की तुलना में **4.56%** का पतन हुआ है।

तालिका 3 दर्शाता है कि 1 अप्रैल से 31 जुलाई 2020 के बीच अलग-अलग राज्यों में कितने नए जॉब कार्ड जारी किए गए और यह पिछले साल कि तुलना में कितने प्रतिशत की बढ़ौतरी या पतन है।

तालिका 3 - अप्रैल 2020 से जारी किये गए जॉब कार्ड

चुनिंदा राज्य	जारी किये गए नए जॉब कार्ड (आंकड़े लाखों में)	पिछले साल की तुलना में इस साल जारी किये गए नए जॉब कार्ड (प्रतिशत में)
उत्तर प्रदेश	14.68	8.64
बिहार	5.82	3.46
राजस्थान	3.36	3.20
आंध्र प्रदेश	3.11	3.47
कर्नाटक	2.91	4.60
तेलंगाना	-2.54	-4.56
सारे राज्य	**38.11**	**2.75**
स्त्रोत : नरेगा एम्.आई.इस रिपोर्ट R5.1.1 साल 2019 और 2020-21 के लिए 2019-20 and 2020-21 (अभिगमन 03/08/2020)		

4.17 लाख परिवारों ने अपने 100 दिनों का निर्धारित काम पूरा कर लिया है

2.26 लाख परिवारों ने 100 दिनों का काम 2 जुलाई 2020 तक ही पूरा कर लिया था। यह आंकड़ा केवल एक महीने में दोगुना हो गया है। हालाँकि, जिन लोगों के नरेगा के अंतर्गत रोज़गार मिला, यह उनका केवल 0.78% है।

100 दिन से ज़्यादा रोज़गार पूरा करने वाले परिवारों की मात्रा आंध्र प्रदेश (**1.90 लाख**) और छत्तीसगढ़ (**70,000**) जैसे राज्यों में ज़्यादा है।

तालिका 4 आंकड़ों में दर्शाती है की कितने परिवार 100 दिनों का काम पूरा करने वाले हैं। लगभग 25 लाख परिवारों ने 70 दिनों से ज़्यादा का काम 2 अगस्त तक ही पूरा कर लिया है।

यह साफ़ तौर से नरेगा के महत्व को दर्शाता है और ठोस रूप से ज़ाहिर करता है कि नरेगा कि पात्रता को हर परिवार के लिए कम से कम 200 दिन करना अतिआवश्यक है।

तालिका 4 - जिन घरों में लगभग 100 दिन पूरे हो चुके है

चुनिंदाराज्य	71-80 दिन (आंकड़े लाखों में)	81-99 दिन (आंकड़े लाखों में)
आंध्र प्रदेश	2.44	3.93
बिहार	0.61	0.54
छत्तीसगढ़	0.97	1.04
झारखंड	0.29	0.31
कर्नाटक	0.59	1.11
मध्य प्रदेश	1.67	2.8
ओडिशा	0.77	1.19
राजस्थान	2.26	2.31
तेलंगाना	1.34	2.04
उत्तर प्रदेश	0.99	1.45
पश्चिम बंगाल	1.09	1.6
सारे राज्य	**10.74**	**14.07**
स्त्रोत : नरेगा एम्.आई.इस रिपोर्ट R5.1.3 (अभिगमन 03/08/2020)		

लगभग **17%** नरेगा की मांग अपूर्ण

1.52 करोड़ लोग जिन्होंने काम की मांग की थी, उन्हें अभी तक रोज़गार नहीं मिला है।

अपूर्ण मांग जुलाई 2 तक **22 प्रतिशत** था, यह घटकर 3 अगस्त को **17 प्रतिशत हो** गया है।

तालिका 5 दर्शाता है कि कैसे मध्य प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों में अपूर्ण मांग के आंकड़ों में 10 जुलाई और 3 अगस्त के बीच सुधार हुआ है।

तालिका 5- कितने लोगों ने काम की मांग की पर उन्हें काम नहीं मिला

चुनिंदा राज्य	पहला ट्रैकर (10 जुलाई 2020)		03 अगस्त 2020	
	कितने लोगों ने मांग की पर उन्हें रोजगारी प्राप्त नहीं हुई (आंकड़े लाखों में))	कितने प्रतिशत लोगों ने मांग की है पर उन्हें काम नहीं मिला (प्रतिशत में)	कितने लोगों ने मांग की पर उन्हें रोजगारी प्राप्त नहीं हुई (आंकड़े लाखों में)	कितने प्रतिशत लोगों ने मांग की है पर उन्हें काम नहीं मिला (प्रतिशत में)
उत्तर प्रदेश	35.43	30.64	33.57	27.47
बिहार	10.48	24.24	9.6	20.81
मध्य प्रदेश	16.39	23.72	17.45	22.81
पश्चिम बंगाल	17.48	21.83	13.26	14.98
राजस्थान	19.11	20.92	16.63	16.95
छत्तीसगढ़	11.94	19.96	11.9	19.79
आंध्र प्रदेश	13.41	15.89	12.05	14.02
सारे राज्य	**1.74 करोड़**	**22.23**	**1.52 करोड़**	**16.77**
स्त्रोत : नरेगा एम्.आई.इस रिपोर्ट R5.1.1 (अभिगमन 10/07/2020 और 03/08/2020)				

श्रम बजट

श्रम बजट क्या है?

वित्तीय वर्ष के हर तिमाहे के बाद, भागीदारी से योजना प्रक्रिया शुरू होती है। हर पंचायत को अनुमानित रूप से आंकड़ा देना होता है कि कितने दिनों में (नरेगा में मजदूर दिवस के हिसाब से) अगले वित्तीय वर्ष का नियोजित कार्य पूरा होगा। इसे उस पंचायत में नरेगा के लिए अपेक्षित श्रम बजट (एल.बी) कहा जाता है। यदि इस एल.बी को हर राज्य के हर पंचायत के लिए जोड़ दिया जाए, तो हर राज्य का एल.बी मिल सकता है। हर राज्य अपना एल.बी केंद्र सरकार को हर साल दिसंबर तक जमा कर देता है। केंद्र सरकार फिर गणना करने के बाद, न्यूनतम पैसे हर राज्य को आवंटित करता है, जिससे उनकी एल.बी की आवश्यकता पूरी हो। यह राशि न्यूनतम इसलिए होती है क्योंकि नरेगा ज़रूरत के अनुसार निर्धारित किया गया अधिनियम है, और यदि मांग में बढ़ौतरी हुई तो बिना किसी अवरोध के पूंजी का होना ज़रूरी है।

अनुमोदित श्रम बजट क्या है?

यह हम काल्पनिक उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। मानिये कि किसी राज्य में अगले वित्तीय वर्षा का एल.बी 50 करोड़ मजदूर दिवस है, तो केंद्र सरकार को इस तरह पूंजी बांटनी चाहिए कि 50 करोड़ मजदूर दिवस का काम उस राज्य में उत्पन्न हो सके। बहरहाल, पिछले कुछ सालों में केंद्र सरकार अगला वित्तीय वर्षा शुरू होने से पहले ही हर राज्य की एल.बी काट लेती है। तो इस उदाहरण में ऐसा हो सकता है कि सरकार अव्यवस्थित रूप से इस राज्य में केवल 40 करोड़ मजदूर दिवस ही मंजूर करे। आर्थिक रूप से बद्ध होने कि वजह से राज्य, मजदूरों के काम की मांग होने के बावजूद, नरेगा का काम उत्पन्न नहीं कर पाती। यह अव्यवस्थित रूप से एल.बी की कटौती को अनुमोदित श्रम बजट कहते हैं।

नरेगा के बजट का आवंटन कैसे इस अनुमोदित श्रम बजट पर निर्भर करता है?

इस जवाब तक पहुँचने के लिए हम नरेगा के लिए आवंटित 2017-18 की पूंजी को लेते हैं। हर राज्य के एल.बी को जोड़कर, न्यूनतम Rs.72,000 करोड़ बजट आवंटन की ज़रूरत थी। लेकिन 2017-18 में असल में केवल Rs.48,000 करोड़ बजट का आवंटन हुआ। इस पूंजी की गणना लगभग अनुमोदित श्रम बजट का ही इस्तमाल करके हुई। इसलिए, अनुमोदित बजट आवंटन का इस्तेमाल करके मंज़ूर किया गया आवंटन, न्यूनतम बजट आवंटन की मांग से 33 प्रतिशत कम था। संशोधित आंकड़े भी मांग की आंकड़ों से 20 प्रतिशत से भी ज़्यादा से कम थे।

बात यहीं ख़त्म नहीं होती। 2017-18 में, पिछले सालों का अपूर्ण ऋण Rs.10,778 करोड़ था। इसलिए नए कार्य के लिए बचा हुआ नरेगा पूंजी केवल Rs.37,222 करोड़ थी (Rs.48,000 करोड़ - Rs.10,778 करोड़), यह राशि अनुमोदित एल.बी का इस्तमाल करके निकली गई राशि से भी कम है। असल एल.बी के हिसाब से ज़रूरत पूंजी से यह 48% कम राशि थी। आवंटन इसी ढंग से पिछले पांच सालों से चल रहा है।

एल.बी और अनुमोदित एल.बी का प्रनिधितित्व नरेगा एम.आई.एस में कैसे है?

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक पूंजी प्रबंध (एन.ई-एफ.एम.एस) के 2016-17 के दिशानिर्देश के अनुसार, एम.आई.एस एल.बी की सीमा बद्ध करने के बाद राज्यों को और रोज़गार उत्पन्न करने की अनुमति नहीं देगा। इसका तात्पर्य है कि एम.आई.एस मजदूरों की मांग की अर्ज़ी भी पंजी करने की अनुमति नहीं देगा। स्वराज अभियान बनाम भारत संघ (2015) के पी.आई.एल की वजह से सरकार को यह निर्देश रद्द करने पड़े।

2018 तक एम.आई.एस में 2 अलग तरह की रिपोर्ट थी। एक रिपोर्ट से प्रक्षेपित एल.बी और दूसरी से मंज़ूर की गई एल.बी का पता लगता था, फिर प्रक्षेपित एल.बी रिपोर्ट को एम.आई.एस से हटा दिया गया। 2020 तक एम.आई.एस में एल भी और अनुमोदित एल भी के सन्दर्भ में परस्पर विरोधी रिपोर्ट थीं। R2.1.1 से हर महीने की श्रम प्रक्षेपण रिपोर्ट मिलती है, जो कई हद तक हर राज्य की असल एल भी रिपोर्ट है। एक और रिपोर्ट R2.2.2 पर जाकर मिलती है, जिसका नाम महीने-दर-महीने की मंज़ूर की गई श्रम बजट मांग और उत्पन्न किए गए मजदूर दिवस है। हालाँकि, रिपोर्ट खोलने पर हमें बस प्रक्षेपित मजदूर दिवस और उत्पन्न किए गए मजदूर दिवस की रिपोर्ट मिलती है।

दोनों रिपोर्ट के आंकड़े अलग अलग हैं, इसलिए यह साफ़ नहीं है की रिपोर्ट में एल.बी दिख रहा है या मंजूर किया गया एल.बी।

तालिका 6 दर्शाती है की जुलाई में R2.2.2 के हिसाब से प्रक्षेपित मजदूर दिवस की रोज़गारी, R2.2.1 के हिसाब से प्रक्षेपित मजदूर दिवस की रोज़गारी से 50.33 प्रतिशत ज़्यादा है।

तालिका 6 - MIS के R2.1.1 और R2.2.2 के मुताबिक प्रक्षेपित मानव दिवस

महीना	R2.1.1 के मुताबिक प्रक्षेपित मानव दिवस (करोड़ में)	R2.2.2 के मुताबिक प्रक्षेपित मानव दिवस (करोड़ में)
अप्रैल	26.37	22.29
मई	29.11	49.14
जून	28.52	50.06
जुलाई	20.88	36.19
जुलाई तक	**104.88**	**157.67**
स्त्रोत : नरेगा एम्.आई.इस रिपोर्ट R2.1.1 और R2.2.2 (अभिगमन 03/08/2020)		

प्रक्षेपित श्रम बजट की तिमाही की तुलना में 2020-21 के वित्तीय वर्ष की पहले तिमाही में 11 प्रतिशत ज़्यादा मज़दूर दिवस की रोज़गारी उत्पन्न हुई।

2019-20 की पहली तिमाही की तुलना में 2020-21 की पहली तिमाही में 40 प्रतिशत ज़्यादा मज़दूर दिवस की रोज़गारी उत्पन्न हुई है। यह साफ़ सूचक है नरेगा के महत्व का।

आकृति 1 पहले त्रिमास 2017 -18 से लेकर 2020 -21 के पहले त्रिमास और जुलाई के महीने का प्रक्षेपित और असल में उत्पन्न हुए रोजगारी के मजदूर दिवस

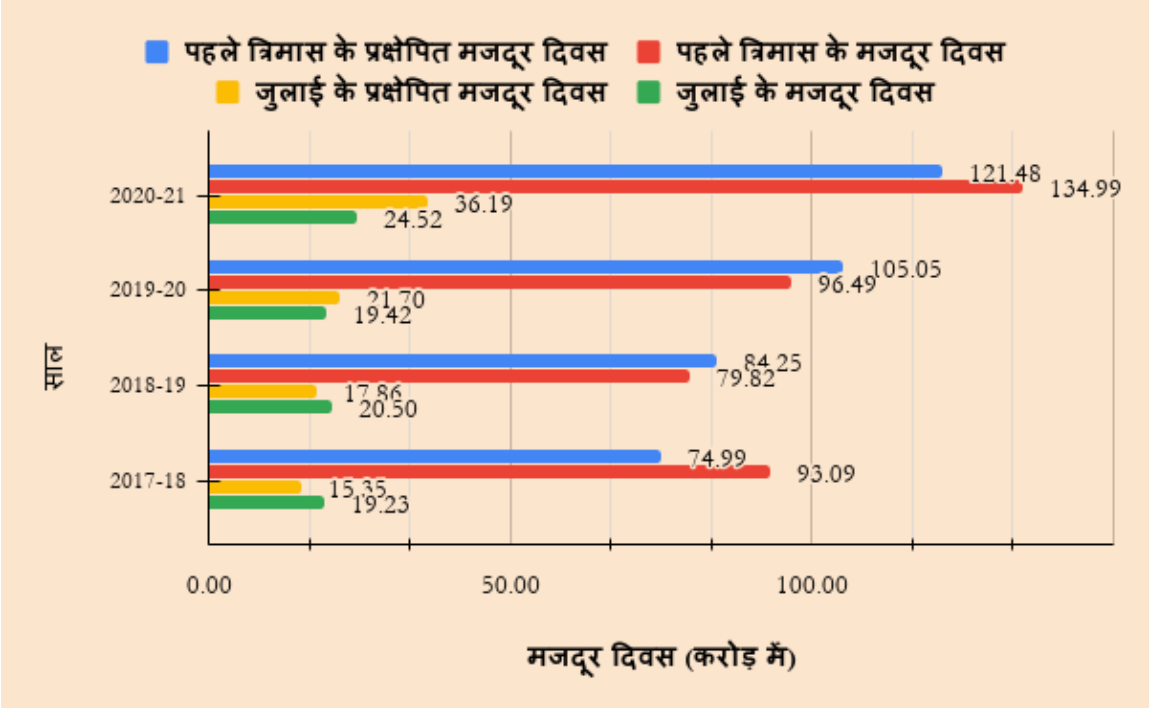

तालिका 6 - MIS के R2.1.1 और R2.2.2 के मुताबिक प्रक्षेपित मानव दिवस

महीना	R2.1.1 के मुताबिक प्रक्षेपित मानव दिवस (करोड़ में)	R2.2.2 के मुताबिक प्रक्षेपित मानव दिवस (करोड़ में)
अप्रैल	26.37	22.29
मई	29.11	49.14
जून	28.52	50.06
जुलाई	20.88	36.19
जुलाई तक	**104.88**	**157.67**
स्त्रोत : नरेगा एम्.आई.इस रिपोर्ट R2.1.1 और R2.2.2 (अभिगमन 03/08/2020)		

मजदूरों की सामाजिक प्रोफाइल - महिलाएँ

आकृति 2 अनुपातित रूप से औरतों के रोज़गारी की संख्या और कुल मजदूर दिवस रोज़गारी को दर्शाता है। किसी भी राज्य में सार्थक तौर से औरतों की रोज़गारी नहीं बढ़ी है। आकृति 2 का डाटा एम.आई.एस रिपोर्ट 511 और र 5656 से है, जिसका अभिगमन 1 अगस्त 2020 को किया गया। 2017-18, 2018-19 और 2019-20 का डाटा पूरे वित्तीय साल का है, जबकि 2020-21 का डाटा १ अप्रैल से 31 जुलाई 2020 तक का है। तालिका 7 हर राज्य में अनुपातित रूप से औरतों के रोज़गारी की संख्या और कुल मजदूर दिवस रोज़गारी को दर्शाता है।

आकृति 2 अनुपातिक रूप से औरतों के रोजगारी की संख्या

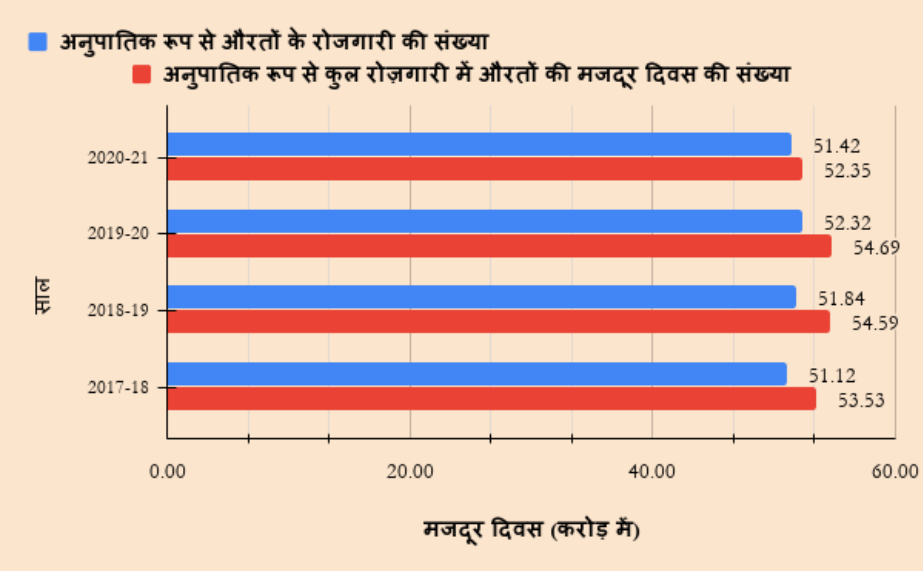

तालिका 7- अनुपातित रूप से औरतों के रोज़गारी की संख्या और कुल मजदूर दिवस रोज़गार कार्यरत

चुनिंदाराज्य	अनुपातित रूप से औरतों के रोज़गारी की संख्या		अनुपातित रूप से औरतों के रोज़गारी की संख्या	
	तीन साल का औसत (प्रतिशत में)	2020-21 (प्रतिशत में)	तीन साल का औसत (प्रतिशत में)	2020-21 (प्रतिशत में)
आंध्र प्रदेश	54.70	53.76	59.86	56.52
बिहार	51.42	51.59	52.21	53.20
छत्तीसगढ़	49.95	50.43	50.17	50.73
झारखंड	40.68	41.76	39.35	40.84
कर्नाटक	48.30	49.46	48.36	49.58
मध्य प्रदेश	41.18	42.94	37.33	41.71
ओडिशा	43.58	44.12	42.46	44.22
पंजाब	59.55	62.06	60.69	58.65
राजस्थान	60.65	61.23	66.34	65.50
तेलंगाना	58.03	56.38	61.93	59.09
उत्तर प्रदेश	35.31	32.92	34.84	33.39
पश्चिम बंगाल	46.33	43.82	47.86	44.52
सारे राज्य	**51.76**	**51.42**	**54.30**	**52.35**
ध्यान दे - 2020-21 के अनुमान वित्तीय वर्ष के पहले चार महीनों के लिए हैं। वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2019-20 के लिए तीन साल का औसत लिया गया है।				
स्त्रोत : नरेगा एम्.आई.इस रिपोर्ट R5.1.1 और R5.1.5 (अभिगमन 03/08/2020)				

अनुसूचित जातियों और जान जातियों की रोजगारी

आकृति 3 - 2017-18 से लेकर 2020 -21 तक कुल परिवारों में से अनुसूचित जातियों और जन जातियों को मिली रोज़गारी का अनुपात

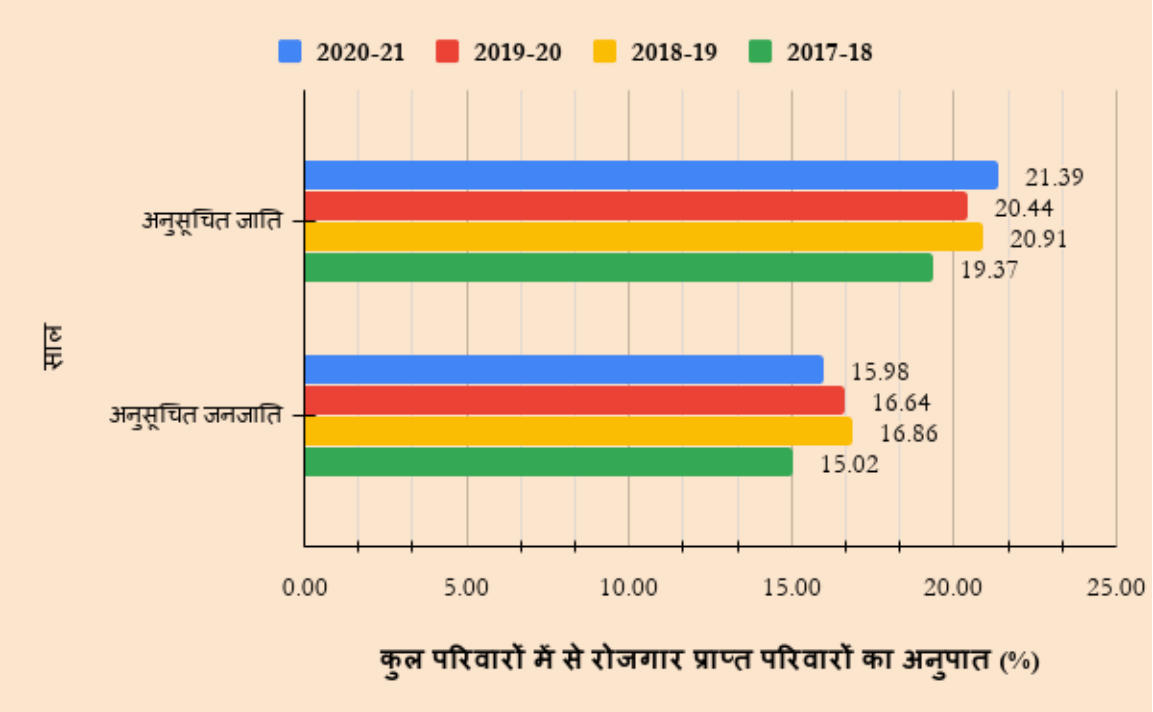

आकृति 4 - 2017 -18 से लेकर 2020 -21 तक कुल मजदूर दिवस में से अनुसूचित जाति और जन जाति को मिले मजदूर दिवस का अनुपात

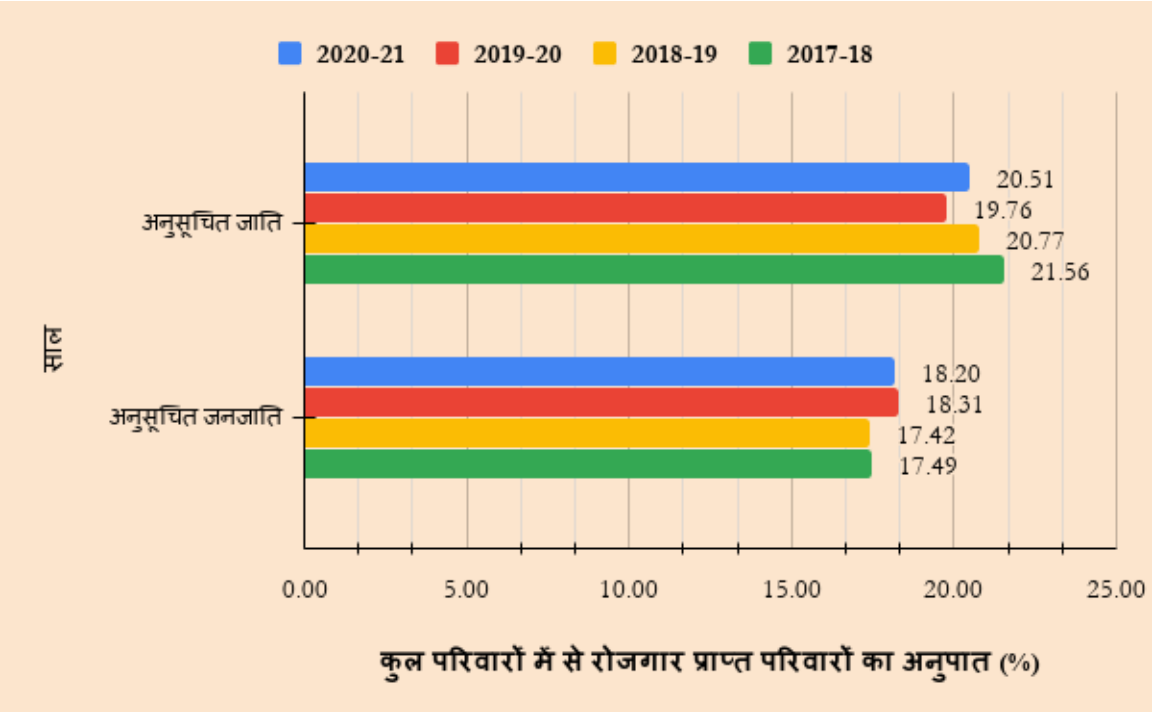

जी.के.आर.ऐ के अंतर्गत आने वाले ज़िलों का नरेगा निष्पादन

प्रवासी मजदूर पर आए संकट के पर प्रतिक्रिया दिखाते हुए प्रधान मंत्री जी ने 20 जून को 116 ज़िलों में, 125 दिनों के लिए गरीब कल्याण रोज़गार अभियान (जी.के.आर.ऐ) का प्रक्षेपण किया। हर ट्रैकर में हम उन जी के आर ऐ के अंतर्गत आने वाली 116 ज़िलों में से 10 ज़िलों की बात करेंगे।

पिछले ट्रैकर में हमने 10 आकांक्षी ज़िलों के कुछ आंकड़े पेश किए थे। आंकड़ों के लिए तालिका 8 देखें।

खगरिया में मांग करने वाले 100 परिवारों में से **1/3** को काम नहीं मिला। ठीक इसी तरह, सीतामढ़ी में **1/4** और बांका, बेगूसराय और हाज़िराबाघ में **1/5** परिवारों को काम नहीं मिला।

जमुई, नवादा, गोड्डा और सिरोही में **85 % से ज़्यादा** मांग करने वाले परिवारों को काम मिला।

तालिका 8 - आकांक्षात्मक (और गरीब कल्याण रोजगार अभियान) जिलों में NREGA रोजगार

चयनित जिले	राज्य	कितने प्रतिशत घरों को काम मांगने पर काम दिया गया	कितने प्रतिशत घरों को 15 दिन से काम काम मिला	कितने प्रतिशत घरों को 15 से 30 दिन के बीच काम मिला
बांका	बिहार	77	30	35
बेगुसराई		79	28	42
जमुई		86	27	35
खगरीअ		64	46	31
नवादा		85	31	32
सीतामढ़ी		73	29	46
गोड्डा	झारखण्ड	88	28	32
हज़ारीबाग़		78	38	31
करौली	राजस्थान	80	46	31
सिरोही		88	13	18
स्त्रोत : नरेगा एम्.आई.इस रिपोर्ट - R.5.1 और R.5.3 (अभिगमन 03/08/2020)				

पिछले ट्रैकर में की गई भूल में सुधार

तीसरे पन्ने के तीसरे बिंदु में हमने लिखा था की तेलंगाना में 75,000 परिवारों ने रोजगारी के 100 दिन 02 जुलाई तक पूरे किये थे। पर 03 अगस्त का डाटा दिखता है की 17,000 परिवारों ने 100 दिन पुरे किये है।

सभी आकृतियों का स्रोत : www.nrega.nic.in, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारतीय सरकार के रिपोर्ट, 31 जुलाई - 10 अगस्त२०२०

समीक्षा या सवालों के लिए हमसे जुड़े

paeg.india@gmail.com

रौनक़ (8800901304)

राजेंद्रन (9620318492)

अनिंदिता (9871832323)

देबमाल्या (7294184845)

अनुष्का (7619404770)

नीतिश (8800725131)